

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 2(5)राज-6/2010/पाटौर


जयपुर दिनांक १५/१५

— अधिसूचना—

राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम संख्या 16 सन् 1954) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) व (ख) के अन्तर्गत भू-दान मण्डल के गठन हेतु सदस्यों का मनोनयन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो )
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो )
3. प्रमुख शासन सचिव, जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो )
4. सचिव, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो )
5. श्री हरी किशन जोशी, ग्राम छतरगढ़ जिला बीकानेर
6. श्री महावीर सिंह, ग्राम आइदान का बास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग को राजस्थान भू-दान यज्ञ बोर्ड का सचिव मनोनीत किया जाता है ।

आज्ञा से,  
  
( तपेश पवार)  
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहो हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय ।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव महोदय ।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग ।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग ।
9. निजी सचिव, सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
10. श्री हरी किशन जोशी, ग्राम छतरगढ़ जिला बीकानेर ।
11. श्री महावीर सिंह, गांव आइदान का बास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।
12. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग ।
13. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 09.04.2014 में प्रकाशनार्थ ।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
15. अध्यक्ष / निदेशक राजस्थान ग्रामदान / भू-दान यज्ञ बोर्ड जयपुर ।
16. रक्षित पत्रावली ।

  
संयुक्त शासन सचिव